(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONALCAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F.3(6)/Fin.(Rev.-I)/2017-18/DS-VI/955 Dated 19/5/17

NOTIFICATION

Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following amendments in the Second Schedule appended to the said Act, namely :-

AMENDMENTS

1. In the Second Schedule, after the entry at serial number 3, the following new entry shall be inserted, namely:-

" 4. Sale of Aviation Turbine Fuel to the Civil Aviation Operators, who have opted to operate under Regional Connectivity Scheme – UDAN for the flights on RCS routes (involving Delhi) between an identified pair of origin and destination airports/helipad within India subject to applicability and fulfillment of all conditions of the Regional Connectivity Scheme -UDAN of the Ministry of Civil Aviation, Government of India. ".

416/System
25/05/2017

2. In the Fourth Schedule, in the Table , for the row pertaining to entry at serial No. 14, the following row shall be substituted , namely:-

14.	Aviation Turbine Fuel (ATF) not covered by any other entry of any of the Schedules	25 paise in the rupee

"

This notification shall come into force with effect from the day immediately following the date of its issuance.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

279-F
22-5-17

(A.K. SINGH)
DY. SECRETARY-VI (FINANCE)

A.C. (System) to please upload on the DVAT website [illegible]

25/5/2017

A.C. (System)

No.F.3(6)/Fin.(Rev.-1)/2017-18/DS-VI/215 Dated 19/5/17

Copy forwarded for information:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its Publication in Delhi Gazette Part-IV (Extra Ordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Raj Niwas, Delhi.
3. The Principal Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalya, I.P. Estate. New Delhi.
5. The Secretary to Finance Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi.
6. The P.A. to the leader of Opposition, 29 Delhi Legislative Assembly, Old Sectt., Delhi.
7. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Additional Secretary(Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
9. OSD Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Registrar, Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
11. VAT Officer (Policy), Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, New Delhi.
12. Guard File.
13. Website.

(A.K. SINGH)
DY. SECRETARY-VI (FINANCE)

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110 002.

सं०फा० 03(06)/वित्त (राज०–1)/2017–18/ डीएस-VI/235 दिनांक: 19/7/17

अधिसूचना

जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का अभिमत है कि जनसाधारण के हित में ऐसा करना समीचीन है।

अतः अब दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

1. द्वितीय अनुसूची में क्रम संख्या 03 पर प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि सन्निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

" 4. नागरिक विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की क्षेत्रीय संयोजकता स्कीम–यूडीएएन की अनुप्रयोज्यता तथा समस्त शर्तों को पूर्ण करने पर भारत के भीतर चिन्हित आरंभिक स्थान तथा गंतव्य स्थानों के लिये हवाई अड्डों/हैलीपेडों के बीच आरसीएस मार्गों (दिल्ली सहित) पर उड़ानों के लिये क्षेत्रीय संयोजकता स्कीम–यूडीएएन के अन्तर्गत प्रचालन चुनने वाले नागरिक विमानन ऑपरेटरों को विमानन टरबाइन ईंधन की बिक्री"।

2. चतुर्थ अनुसूची में, तालिका में क्रम संख्या 14 पर प्रविष्टि से संबंधित पंक्ति के लिये निम्नलिखित पंक्ति प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–
"

14	विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) किसी अनुसूची की किसी अन्य प्रविष्टि में नहीं आता है।	रूपये में पच्चीस पैसे

"

यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(ए० के० सिंह)
उप–सचिव -VI (वित्त)

सं0फा0 03(06)/वित्त (राज0–1)/2017–18/ डीएस-VI/ 215 दिनांकः 18/7/17

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
5. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. नि.सं. नेता प्रतिपक्ष, 29 दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
7. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
10. पंजीयक, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
11. मूल्य संवर्धित कर अधिकारी (नीति), मूल्य संवर्धित कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, नई दिल्ली।
12. गार्ड फाईल ।
13. वेबसाइट।

(ए0 के0 सिंह)
उप–सचिव -VI (वित्त)